

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

केपिटल काम्पलेक्स, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)-492002

कार्यालय फोन : 0771-2511500, फैक्स : 0771-2511400 ई-मेल ceo@nayarapur.com

क्र./ /6(2)/आई.पी.एल./संपदा/एन.आर.डी.ए./2015 नया रायपुर, दिनांक /05/2015

“संशोधित प्रेस विज्ञप्ति”

आई.पी.एल. टी-20, 2015 के द्वारा दिनांक 09.05.2015 एवं 12.05.2015 को शहीद वीरनारायण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में मैच के दौरान पार्किंग हेतु 06 पार्किंग स्थलों एवं पार्किंग स्थल पर जलपान गृहों के लिए दिनांक 01.05.2015 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। आज नई राजधानी किसान संघर्ष समिति से चर्चा के तारतम्य में पार्किंग स्थल का अधिकतम रूपये 10,000/- लाइसेंस शुल्क एवं जलपान गृह हेतु रूपये 20/- प्रत्येक के लिए संशोधित करते हुए दिनांक 06.05.2015 को अपरान्त 4.00 बजे तक प्राप्त किये जाने तथा उसी दिन निविदा खोला जाना प्रस्तावित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
नया रायपुर (छ.ग.)

आई.पी.एल. टी-20, 2015 मैच हेतु पार्किंग स्थल के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी,
सेक्टर 19, केपीटल काम्प्लेक्स,
नया रायपुर(छ.ग.)

विषय :- आईपीएल टी-20, 2015 मैच हेतु वाहन पार्किंग/लाइसेंस पर दिये जाने के लिए आवेदन।

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता, नया रायपुर परियोजना के प्रभावित व्यक्ति हैं। कृपया हमारे समूह को 09.05.2015 एवं 12.05.2015 को नया रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में होने वाले आईपीएल टी-20, 2015, मैच हेतु पार्किंग स्थल क्रमांक का आबंटन करने का कष्ट करें।

1. आवेदक गण का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता/मोबाईल नंबर-

1.
2.
3.
4.
5.

2. परियोजना प्रभावित भूमि का विवरण-

ग्राम का नाम- प्रभावित खसरा नं./रकबा

प्रमाण पत्र का क्रमांक..... (छायाप्रति संलग्न करें)

3. अनुभव (यदि कोई हो तो) का विवरण.....

दिनांक-

आवेदक गण के हस्ताक्षर

स्थान-

1.

2.

3.

4.

5.

घोषणा

हमने पार्किंग स्थल आबंटन संबंधी नियमों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। इस आबंटन के लिए लाटरी व्यवस्था एवं अन्य सभी शर्तें हमें स्वीकार हैं। हमारा शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। हम निर्धारित लाइसेंस शुल्क आबंटन के तुरंत पश्चात् जमा करने सहमत हैं।

दिनांक-

आवेदक गण के हस्ताक्षर

स्थान-

1.

2.

3.

4.

5.

संलग्न प्रपत्र-

1. नोटरी सत्यापित शपथ पत्र।

2. परियोजना प्रभावित भूमि के प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति।

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी
आईपीएल टी-20, 2015 मैच के लिए पार्किंग व्यवस्था के नियम एवं शर्तें

- नया रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में दिनांक **09.05.2015** एवं **12.05.2015** तक 02 दिवसों में आयोजित होने वाले आईपीएल टी-20, 2015, के लिए स्टेडियम के समीप पार्किंग के लिए 5 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थलों का समतलीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था, बेरिकेटिंग, पानी की सुविधा एवं पुलिस कंट्रोल रूम हेतु पंडाल की व्यवस्था एनआरडीए द्वारा की जा रही है।
- पार्किंग स्थलों पर पार्किंग के संचालन के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आबंटन किया जायेगा। किसी पार्किंग कर्मांक के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी के द्वारा आबंटन किया जायेगा। किसी समूह को एक से अधिक पार्किंग सेक्टर के आबंटन की पात्रता नहीं होगी।
- पार्किंग संचालन के एवज में वाहन धारकों से निम्नांकित शुल्क लिये जायेंगे:-

| कर्मांक | वाहन का प्रकार | एक बार पार्किंग का शुल्क |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 01 | सायकल | रुपये 2/- |
| 02 | दुपहिया वाहन | रुपये 10/- |
| 03 | मोटर कार | रुपये 30/- |
| 04 | छोटे युटिलिटी वाहन | रुपये 30/- |
| 05 | बस एवं बड़े युटिलिटी वाहन | रुपये 50/- |

- पार्किंग स्थलों का 02 दिवसों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क-

| क्र0 | पार्किंग स्थल का विवरण | लाइसेंस शुल्क रूपयों में |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| P-8 | पार्किंग कर्मांक 08, परसदा, प.ह.नं.-25 - रोड नंबर-2 वृक्षारोपण से लगा हुआ (4.01 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया/दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 8A, 8B, 8C, 8D | रुपये 2,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) |
| P-9 | पार्किंग कर्मांक 09, नवागांव-75/22 - साईं हास्पिटल के पूर्व रोड नंबर-2 से लगा हुआ (20.05 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल 9A, 9B, 9C, 9D | रुपये 10,000/- (एक लाख रुपये मात्र) |
| P-10 | पार्किंग कर्मांक 10, नवागांव-75/22 - रोड नंबर-2 दक्षिण भाग बांध क्षेत्र रोड से लगा हुआ (15.70 हे. क्षेत्रफल में केवल दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 10A, 10B, 10C, 10D | रुपये 7,600/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) |
| P-11 | पार्किंग कर्मांक 11, परसदा प.ह.नं.-25 - स्पोर्ट्स सिटी ग्राम परसदा सड़क से लगा हुआ (11.29 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया/दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 11A, 11B, 11C, 11D | रुपये 5,600/- (साठ हजार रुपये मात्र) |
| P-12 | पार्किंग कर्मांक 12, परसदा प.ह.नं.-25 - आर्मी कोसा रोड से लगा हुआ पूर्व भाग 5.82 हे. 4 जलपान गृह पंडाल - 12A, 12B, 12C, 12D | रुपये 2,800/- (पैतीस हजार रुपये मात्र) |
| P-14 | पार्किंग कर्मांक 14, परसदा प.ह.नं.-25 आर्मी कोसा रोड नहर के पास पश्चिम भाग 5.62 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया/दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 14A, 14B, 14C, 14D | रुपये 2,800/- (पैतीस हजार रुपये मात्र) |

5. पार्किंग संचालन करने वाले समूह की निम्नांकित जवाबदारी होगी—
1. पार्किंग स्थल पर वाहन को सुव्यवस्थित तरीके से लगाया जाना। उनका प्रवेश एवं निर्गम सरलता से हो, यह सुनिश्चित किया जाना।
 2. सांकेतिक सूचना फ्लैक्स, पार्किंग शुल्क सूची आदि की छपाई एवं प्रदर्शन की व्यवस्था करना।
 3. आबंटित स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, मैच के निर्धारित दिवस को प्रातः 10.00 बजे से प्रारंभ करना।
 4. प्रत्येक दिवस पार्किंग स्थल पन मेनगेट को छोड़कर, भीतर में टिकट काटने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करना।
 5. निर्धारित पार्किंग स्थल के बाहर वाहनों का न रखा जाना सुनिश्चित करना।
 6. पार्किंग स्थल में रखे गये वाहनों की सुरक्षा करना।
 7. पार्किंग शुल्क के लिए निर्धारित शुल्क कूपन की पर्याप्त संख्या में छपाना, सुव्यवस्थित तरीके से निर्धारित वाहनों के अनुसार टिकट काटना एवं शुल्क वसूल करना।
 8. पार्किंग स्थल का अन्य उपयोग नहीं करना और न ही अन्य उपयोग करने देना।
 9. शांति व्यवस्था बनाये रखना एवं प्रशासन को सहयोग देना।
 10. दिनांक 13.05.2015 को प्रातः 11.00 बजे तक पार्किंग स्थल खाली कर वापस एनआरडीए को सौपना।
6. पार्किंग स्थल का आबंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। **लाटरी की प्रक्रिया दिनांक 06.05.2015 को शाम 4.00 बजे से एनआरडीए कार्यालय में प्रारंभ की जावेगी।** लाइसेंस शुल्क पार्किंग शुल्क आबंटन के 24 घंटे के भीतर आबंटिती द्वारा एनआरडीए में जमा किया जावेगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।

आई.पी.एल. टी-20, 2015 मैच हेतु पार्किंग स्थलों में जल-पान की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी,
सेक्टर 19, केपीटल काम्प्लेक्स,
नया रायपुर(छ.ग.)

विषय :- आई.पी.एल. 2015 मैच हेतु वाहन पार्किंग स्थलों में जल-पान हेतु लाइसेंस पर दिये जाने के लिए आवेदन।

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता, नया रायपुर परियोजना के प्रभावित व्यक्ति हैं। कृपया हमारे समूह को 09 मई एवं 12 मई को नया रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में होने वाले आई.पी.एल. टी-20, 2015 मैच हेतु पार्किंग स्थलों में जल-पान हेतु लाइसेंस पर आबंटन करने का कष्ट करें।

- आवेदक गण का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता/मोबाईल नंबर—
 -
 -
 -
 -
 -
- परियोजना प्रभावित भूमि का विवरण—
ग्राम का नाम— प्रभावित खसरा नं./रकबा
प्रमाण पत्र का क्रमांक..... (छायाप्रति संलग्न करें)
- अनुभव (यदि कोई हो तो) का विवरण.....

दिनांक— आवेदक गण के हस्ताक्षर
स्थान—

-
-
-
-
-

घोषणा

हमने पार्किंग स्थलों में जल-पान हेतु लाइसेंस आबंटन संबंधी नियमों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। इस आबंटन के लिए लाटरी व्यवस्था एवं अन्य सभी शर्तें हमें स्वीकार हैं। हमारा शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। हम निर्धारित लाइसेंस शुल्क आबंटन के तुरंत पश्चात् जमा करने सहमत हैं।

दिनांक— आवेदक गण के हस्ताक्षर
स्थान—

-
-
-
-
-

संलग्न प्रपत्र—

- नोटरी सत्यापित शपथ पत्र।
- परियोजना प्रभावित भूमि के प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति।

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

आई.पी.एल. टी-20, 2015 मैच के लिए पार्किंग स्थलों में जल-पान गृहों की व्यवस्था बाबत नियम एवं शर्तें

1. नया रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में दिनांक **09.05.2015 एवं 12.05.2015** में आयोजित होने वाले आई.पी.एल. टी-20, 2015, के लिए स्टेडियम के समीप पार्किंग के लिए 4 स्थानों पर पार्किंग स्थलों पर जल-पान गृहों की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थलों का समतलीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था, बेरिकेटिंग, पानी की सुविधा एवं पुलिस कंट्रोल रूम हेतु पंडाल की व्यवस्था एनआरडीए द्वारा की जा रही है।
2. पार्किंग स्थलों पर जल-पान गृहों के संचालन के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आबंटन किया जायेगा। किसी जल-पान गृहों के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी के द्वारा आबंटन किया जायेगा। किसी समूह को एक से अधिक पार्किंग स्थलों में जल-पान गृहों के आबंटन की पात्रता नहीं होगी।
3. पार्किंग स्थलों पर जल-पान गृहों का 02 दिवसों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क-

| क्र0 | पार्किंग स्थल पर जल-पान गृहों का विवरण | लाइसेंस शुल्क रूपयों में |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P-8 | पार्किंग क्रमांक 08, परसदा, प.ह.नं.-25 - रोड नंबर-2 वृक्षारोपण से लगा हुआ (4.01 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया/दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 8A, 8B, 8C, 8D | रूपये 20/- प्रत्येक |
| P-9 | पार्किंग क्रमांक 09, नवागांव-75/22 - साईं हास्पिटल के पूर्व रोड नंबर-2 से लगा हुआ (20.05 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल 9A, 9B, 9C, 9D | रूपये 20/- प्रत्येक |
| P-10 | पार्किंग क्रमांक 10, नवागांव-75/22 - रोड नंबर-2 दक्षिण भाग बांध क्षेत्र रोड से लगा हुआ (15.70 हे. क्षेत्रफल में केवल दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 10A, 10B, 10C, 10D | रूपये 20/- प्रत्येक |
| P-11 | पार्किंग क्रमांक 11, परसदा प.ह.नं.-25 - स्पोर्ट्स सिटी ग्राम परसदा सड़क से लगा हुआ (11.29 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया/दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 11A, 11B, 11C, 11D | रूपये 20/- प्रत्येक |
| P-12 | पार्किंग क्रमांक 12, परसदा प.ह.नं.-25 - आर्मी कोसा रोड से लगा हुआ पूर्व भाग 5.82 हे. 4 जलपान गृह पंडाल - 12A, 12B, 12C, 12D | रूपये 20/- प्रत्येक |
| P-14 | पार्किंग क्रमांक 14, परसदा प.ह.नं.-25 आर्मी कोसा रोड नहर के पास पश्चिम भाग 5.62 हे. क्षेत्रफल में चार पहिया/दो पहिया वाहनों के लिए) 4 जलपान गृह पंडाल - 14A, 14B, 14C, 14D | रूपये 20/- प्रत्येक |

4. पार्किंग स्थलों पर जलपान गृहों के संचालन करने वाले समूह की निम्नांकित जवाबदारी होगी-
 1. जलपान गृह हेतु 10X10 वर्गफीट के पंडाल एवं सूचना फ्लैक्स का निर्माण, अस्थायी काउंटर एवं टेबल-कुर्सी आदि की व्यवस्था आबंटिती को स्वयं करना होगा।
 2. आबंटित स्थल पर जलपान गृह, मैच के निर्धारित दिवस को दोपहर 12.00 बजे से प्रारंभ करना।

3. पार्किंग स्थल पर जलपान गृह पंडाल में पीने का बोतल बंद पानी, मानक फलों के जूस, कोल्ड ड्रिंक एवं ताजे स्वच्छ नास्ते इत्यादि के विक्रय की व्यवस्था करना।
 4. विक्रय हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करना। बाल श्रमिकों का उपयोग प्रतिबंधित है।
 5. निर्धारित मूल्यों में ही सामग्री का विक्रय करना एवं विक्रय मूल्य सूची प्रदर्शित करना।
 6. किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय नहीं करना।
 7. निर्धारित पार्किंग स्थल के बाहर विक्रय सामग्री का न रखा जाना सुनिश्चित करना।
 8. पार्किंग स्थल पर जलपान गृहों का अन्य उपयोग नहीं करना और न ही अन्य उपयोग करने देना।
 9. शांति व्यवस्था बनाये रखना एवं प्रशासन को सहयोग देना।
 10. दिनांक 13.05.2015 को प्रातः 11.00 बजे तक पार्किंग स्थल पर जलपान गृहों को खाली कर वापस एनआरडीए को सौंपना ।
5. पार्किंग स्थलों पर जलपान गृहों का आबंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। **लाटरी की प्रक्रिया दिनांक 06.05.2015 को शाम 4.00 बजे से एनआरडीए कार्यालय में प्रारंभ की जावेगी।** लाइसेंस शुल्क जलपान गृह आबंटन के 24 घंटे के भीतर आबंटिती द्वारा एनआरडीए में जमा किया जावेगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।

शपथ पत्र

हम नया रायपुर परियोजना प्रभावित निम्नलिखित व्यक्तियों का समूह है। हमारा पता निम्नानुसार है, नया रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा के पार्किंग स्थलों/जलपान गृहों का संचालन करना चाहते हैं। हम पार्किंग स्थल/जलपान गृह के संचालन हेतु एनआरडीए द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियमों का पालन करेंगे।

शपथकर्ता गण

| क्रमांक | नाम/पिता का नाम | आयु | निवासी |
|---------|-----------------|-----|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य सही है।

हस्ताक्षर शपथकर्तागण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.